न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुनीय आर्य, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 29/23 (223 आर. टी. एक्ट)

जीसीएमएस संख्या 2023/66

उनवान

1. शमशेर खान पुत्र नादर खान जाति मुसलमान निवासी वर वाली गली लोधी मौहल्ला कस्बा मनिया तहसील मनिया व जिला धौलपुर।

.........................अपीलांट।

बनाम

1. घनश्याम पुत्र वैजनाथा जाति वैश्य निवासी मुख्य बाजार मनियॉ तहसील मनिया जिला धौलपुर।
2. जयप्रकाश बंसल पुत्र मदन मोहन बंसल जाति वैश्य निवासी कस्बा मनिया तहसील मनिया जिला धौलपुर।
3. सुमित कुमार गोयल पुत्र घनश्याम दास गोयल जाति वैश्य निवासी कस्बा मनिया तहसील मनिया जिला धौलपुर।
4. सलीम खान पुत्र नादर खान जाति मुसलमान निवासी वर वाली गली लोधी मौहल्ला कस्बा मनियॉ तहसील मनिया जिला धौलपुर।

...............................असल रेस्पोडेण्ट

राजस्थान सरकार तामिल जरिये तहसील मनियॉ वहैसियत लैण्ड होल्डर।

...............................तरतीवी रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 सहायक कलक्टर मुख्यालय धौलपुर दि0 24.01.23 प्र.सं. 12/21 उनवानी शमशेर ख्यान बनाम घनश्याम।

उपस्थित :–

1. श्री योगेश शर्मा वकील अपीलांट।
2. श्री गजेन्द्र सिंह राणा वकील रैस्पो0।

निर्णय

दिनांक–25.10.2024

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय सहायक कलक्टर मुख्यालय धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 24.01.2023 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलाण्ट ने एक दावा अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी के वादी एवं प्रतिवादी राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार सहखातेदार काश्तकार हैं। विवादित आराजी का अभी विधिवत विभाजन नहीं हुआ है एवं पक्षकारान विवादित आराजी को सम्मिलित रूप से काश्त करते हैं। अतः सम्मिलित रूप से काश्त करने पर आये

भू प्रबंध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

दिन पक्षकारान के मध्य फसल एवं फसल आदि में हुये खर्च को लेकर झगड़ा फसाद हो जाता है। अतः दाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किये जाने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दाद, बाद सुनवाई दिनांक 25.02.2022 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर, तहसीलदार नदबई से विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये एवं तहसीलदार नदबई से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.01.2023 से अंतिम डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर दादी/अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विरुद्ध होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। यह है कि विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय विभाजन के नियम 18–21 की पालना नहीं की गयी है। विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा नहीं बनाये जाकर पटवारी हल्का द्वारा तैयार किये गये हैं। विवादित आराजी में अपीलाण्ट के पूर्वजो की कब्र बनी हुयी है। अतः कब्र वाली भूमि संयुक्त रहनी चाहिये थी। किन्तु कब्र वाली भूमि को अपीलाण्ट के पक्ष में रख दिया है। इस बाबत् अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में भी आपत्ति प्रस्तुत की गयी थी। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने आपत्ति बाबत् पृथक के कोई निर्णय नहीं किया। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय भी पक्षकारो को मौके पर उपस्थित होने बाबत् कोई नोटिस जारी नहीं किये गये। विवादित भूमि के बटा नम्बरो का नक्शा भी पृथक–पृथक रंगो में नहीं बनाया। अंत में अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक नजीर डीएनजे 2024(1) पेज 447, 681, 2023(1) पेज 1 का उद्धरण प्रस्तुत करते हुये, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त करते हुये, पुनः तहसीलदार की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तलब कर विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया।

4. रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। कब्र रोड सीमा पर बनी हुयी है। कब्र वाला हिस्सा हमें दे दिया जाये, इस बाबत् हमें कोई आपत्ति नहीं है। अपीलाण्ट चाहे तो कोई भी हिस्सा ले लेवें। हम सहमत हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यों की जॉच उपरान्त ही निर्णय पारित किया है। अपीलाण्ट प्रकरण को अनावश्यक रूप से उलझा रहें हैं एवं विवादित आराजी का विभाजन नहीं होने देना चाहते। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्तावो पर जाहिर तौर पर तहसीलदार के हस्ताक्षर तो अंकित हैं। परन्तु गहनता से अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16.03.2022 को तैयार किये गये हैं। परन्तु तहसीलदार द्वारा उन पर दिनांक 21.03.2022 को हस्ताक्षर किये गये हैं। जिससे प्रथम दृष्टया यह आभास होता है कि तहसीलदार स्वयं मौके पर नहीं गये। नियमानुसार विभाजन के प्रकरणो में तहसीलदार स्वयं का पक्षकारो की उपस्थिति में विभाजन

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

प्रस्ताव तैयार करने का प्रावधान है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु मौके पर उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय अथवा तहसीलदार द्वारा कोई सूचना/नोटिस दिया गया हो। ऐसा भी कोई तामील शुदा नोटिस पत्रावली में शामिल नहीं है। इसके अलावा अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में विभाजन प्रस्तावो पर आपत्ति प्रस्तुत की गयी थी। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उनकी आपत्ति का निस्तारण किये विना प्रकरण में अंतिम डिक्री पारित कर दी, जो विधिक प्रावधानो के विपरीत होने से त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि अपीलांट द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र में उठाये गये विन्दू पर गुणावगुण के विश्लेषण के उपरांत परीक्षण कर मौके एवं अभिलेख की स्थिति के आधार पर निरस्त अथवा स्वीकार किये जाने योग्य है अथवा नहीं का निर्णय कर अंतिम डिक्री पारित करते, जो नहीं किया है। हमारे मत में इस प्रकार का निर्णय चाहे कितने ही परीक्षण अन्वेषण एवं मानसिक परिश्रम उपरान्त लिखा गया हो, यह आभास कराता है कि निर्णय करते समय न्यायिक विवेक उपयोग नही हुआ है। न्याय होना ही पर्याप्त नही, होते हुए दिखना भी चाहिए। अतः इस प्रकार के निर्णय स्वीकार्य नही हो सकता है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 24.01.2023 अपास्त किये जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार स्वयं पक्षकारो की उपस्थिति में विवादित आराजी बावत् राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित कराते हुए, विभाजन प्रस्ताव तैयार करावें एवं अधीनस्थ न्यायालय उक्त विभाजन प्रस्तावो पर उभयपक्ष को सुनवाई/आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर देते हुये, पुनः विधिसम्मत अंतिम डिक्री पारित करें। उभयपक्षकारान् को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 02.12.2024 को सुनवाई हेतु उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 25.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील आर्य)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर